HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 23rd July, 2008

No.HPERC/Secy/610/AS/MST/2008. - In exercise of the powers conferred by the clause (b) of sub-section (1) of section 86 and section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, after previous publication, hereby makes the following regulations to further amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulations, 2003, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary), dated 24th October, 2003 :-

REGULATIONS

1. **Short title and commencement. -** (1) These regulations shall be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) (Sixth Amendment) Regulations, 2008.

   (2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. **Amendment of Regulation 3:** In regulation 3 of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulations, 2003 -

   (i) after the existing sub-regulation (5), the following new sub- regulation(5-A) shall be inserted namely;-

   "5(A) Incase the Chairperson of the Forum is unable to discharge the following functions owing to his absence, illness or any other cause, the Member appointed under sub-clause (ii) of the Clause (a) of sub–regulation (4), shall discharge the functions of the Chairperson, until the day or when the Chairperson assumes office." and

   (ii) for the existing sub -regulation (9), the following sub-regulation (9) shall be substituted namely;-

   '(9) The salary or honorarium, TA/DA and allowance payable to, and terms and conditions of service of, -

(a) the member appointed by the distribution licensee under clause (a) of sub-regulation (4) shall be such as may be determined by the distribution licensee; and

(b) the independent member nominated by the Commission under clause (b) of sub-regulation (4) shall such as may be determined by the Commission.

Provided that the salary, allowance and other terms and conditions of service of members shall not be varied to their disadvantage after appointment."

By the order of the Commission

Sd/-
Secretary,

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, शिमला

अधिसूचना

शिमला 171002 – 23 जलाई, 2008

संख्या : एच0पी0ई0आर0सी0 सचि– 610/ऐ0एस0/एम0टी0/2008

राजपत्र ; (असाधरण) , हिमाचल प्रदेश, दिनांक 24 अक्तुबर, 2003 के अंक में प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयाेग (उपभोगता शिकायत निवारण फोरम (मंच) प्रस्थापना मार्गदर्शन विनियम, 2003 में और संशोधन करने, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा धारा 181 द्वारा प्रदत शक्तियों तथा इस निमित सशक्त करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम पूर्व प्रकाशन के उपरान्त एतद द्वारा बनाता है : -

विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयाेग (उपभोगता शिकायत निवारण फोरम (मंच) प्रस्थापना मार्गदर्शन) (छठा संशोधन), विनियम, 2008 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

(2) विनियम 3 का संशोधन - हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयाेग (उपभोगता शिकायत निवारण फोरम (मंच) प्रस्थापना मार्गदर्शन) (छठा संशोधन), विनियम, 2003 के विनियम 3 में, –

(i) विद्यमान उप- विनियम (5) के पश्चात निम्नलिखित नया उप- विनियम (5 क) अन्त स्थापित किया जायेगा : -

“ (5 - क) यदि अध्यक्ष अपनी अनुपस्थिति बीमारी या अन्य किसाी कारण सें अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं कर पाता है, तो उप- विनियम (4) के उप खण्ड (ii) के अर्न्तगत नियुक्त सदस्य, उस दिन तक या जब तक अध्यक्ष कार्यभार नहीं सम्भालता, अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा ” । तथा

(ii) विद्यमान उप- विनियम (9) के स्थान पर निम्नलिखित उप- विनियम (9) प्रतिस्थापित किया जायेगा –

“(9) वेतन या मानदेय, यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता और अन्य भत्ते एवं सेवा के अन्य निबन्धन और शर्ते ऐसी होंगी जैसा कि –

(क) उप- विनियम (4) के खण्ड (क) के अर्न्तगत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियुक्त सदस्य की दशा में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, तथा

(क) उप- विनियम (4) के खण्ड (ख) के अर्न्तगत आयोग द्वारा नामित स्वतन्त्र सदस्य की दशा में, आयोग द्वारा ; अवधारित की जाएगी ।

परन्तु सदस्यों के वेतन, भत्तों और सेवा के निबन्धन और शर्तों में नियुक्ति के पश्चात उनके लिए अलाभकर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।”

आयोग के आदेश द्वारा

सचिव